प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

पूआईडी संख्या: **UPFS/2025/150891/GZB/GHAZIABAD/8442/CFO**
दिनांक: **28-03-2025**

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **SUNDER DEEP EDUCATIONAL SOCIETY** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम)पता **SUNDER DEEP GROUP OF INSTITUTIONS GHAZIABAD,NH-24, DELHI HAPUR ROAD, DASNA,GHAZIABAD** तहसील - **GHAZIABAD**, प्लाट एरिया **89314.121 sq.mt** , कुल कवर्ड एरिया **12447.00** (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - **3** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
SUNDER DEEP COLLEGE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY	4	0	14.80 mt.
SUNDER DEEP COLLEGE OF HOTEL MANAGEMENT	4	0	14.80 mt.
SUNDER DEEP WORLD SCHOOL	4	0	14.80 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **SUNDER DEEP EDUCATIONAL SOCIETY** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाए, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण **अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **02-04-2025** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **SUBHASH CHAND SHARMA** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **04-04-2025 से 03-04-2028 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ** निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **SUNDER DEEP EDUCATIONAL SOCIETY** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **SUNDER DEEP EDUCATIONAL SOCIETY** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : उक्त ब्लाको मे इन course के अतिरिक्त SDGI School of physiotherapy, School of allied health sciences and school of nursing भी संचालित है। 1-अर्ह अभिकर्ता/अग्निशमन अभियन्ता से वर्ष मे न्यूनतम एक बार फायर आडिट तथा वर्ष के जनवरी व जुलाई माह मे भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओ की कार्यशीलता का प्रमाण पत्र विभाग को प्रेषित करे।2-फायर उपकरणो का वार्षिक ए0एम0सी0/ मरम्मत अर्ह एजेन्सी से कराया जाये।3-विधुत सुरक्षा निदेशालय का विधुत सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।4-भवन के स्वरूप की वैधता सम्बन्धित प्राधिकरण की शर्तो के अधीन होगा, यदि सम्बन्धित सत्ता प्राधिकारी की शर्तो का उल्लघंन होता है तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है । इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा । यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है ।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)

Digitally Signed By
(Rahul Pal)
[AC551D1C1977602518FD17F7DCFBA9B10AD96EDA]
04-04-2025

निर्गत किये जाने का दिनांक : **04-04-2025**
स्थान : **GHAZIABAD**

Principal
Sunder Deep World School
NH-24, Dasna
School Code: 60995